(44)

OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION, AT GOHAR, DISTRICT MANDI, , HP -175029
Phone & Fax 01907-250267, e-mail-nachandfo123@gmail.com

Diary No. 1346
Date 30/08/2024

No./RK./---------- **Dated----------**

From: DFO Nachan. To:- C.C.F.(T) Mandi

Subject :- **Diversion of 3.60 Ha of forest land in favour of IPH Department for the augumentation of various water supply schemes in Tandi, Saroa, Tharjoon, Musrani, Bassi, Devdhar, Kharsi and Kotla in Gohar Block within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Water/43930/2020).**

FR-WA
EC
30/8/24

ज्ञापन्:

आपके कार्यालय के पत्र संख्या 403 दिनांक 18.04.2023 के सन्दर्भ में :–

2. उपरोक्त प्रस्तावना भारत सरकार के पत्र संख्या/8बी/एच0पी0/09/63/2020/एफ0सी0/1551 दिनांक/13.10.2020 जो की अतिरिक्त मुख्य सचिव वन हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित होने के साथ साथ नोड़ल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) हि0 प्र0 सरकार टालैंड शिमला को पृष्ठांकित है में लगाई गई शर्तो की अनुपालना रिर्पोट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण कर ली गई है व मदवार सूचना जो प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त हुई है आपके कार्यालय को निम्न प्रकार से शर्तवार प्रेषित की जा रही है:–

सैधांतिक स्वीकृति की शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतरः–

(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:–	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र - संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-

3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगने वन भूमि अर्थात 7.20 हैक्टेयर DPF Jhout में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 7.20 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करने हेतू मु0 रु0 1201662/– कैम्पा में RTGS on dated 30.03.2021 UTR No. PUNBD 21089004011 तथा 210291 ई चालान दिनांक 30.03.2021 DDO Code 815 (0406-01-800-18-Other Miscelaneous receipts के अन्तर्गत जमा करवा दिए जा चुके है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
ख	राज्य शासन द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है।
ग	वन मण्डलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रच्चलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सिमांकन और स्तंम्भन की लागत परियोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रीम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतू उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
5	शुद्ध वर्तमान मुल्य।	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के WP (C) No. 202/1995 IA No.566 आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.	प्रस्तावित वन भूमि, 3-60 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमानमूल्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा

	2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–FC (Pt.2) दिनांक 18.09.2023, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–ढफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.60 हेक्टेयर वन क्षेत्र के शुद्ध वर्तमान मुल्य बसूल करेगी।	राशि 2516500-/ रुपये सृजित on dated 30.03.2021 UTR No. PUNBD 21089004011 RTGS के माध्यम से केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है।जिससे सम्बन्धित रसीद की प्रतियां साथ संल्गन है।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मुल्य की अतिरिक्त राशी यदि कोई हो जो अंतिम रुप में देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से बसूल किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
6	FRA,2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जायेगा।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	राज्य सरकार सी.ए. हेतू संशोधित site suitability प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रषित करेगी जिसमें डी.एफ.ओ. द्वारा सी.ए. क्षेत्र में किये निरीक्षण की तिथि अंकित हो।	शर्त स्वीकार्य है।
8	माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान एफ0सी0ए0 के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही तदानुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतू जारी किए जाने वाले स्वीकृती आदेश जारी करेगी।	शर्त स्वीकार्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण अप्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष का कटान/पातन नहीं करेंगें।	शर्त स्वीकार्य है।
10	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है।

11	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त स्वीकार्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त स्वीकार्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजीय, वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी/वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतू नहीं किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त स्वीकार्य है।

20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त स्वीकार्य है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट सथलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त स्वीकार्य है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त स्वीकार्य है।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है।

कृप्या यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अतः इस प्रस्तावना में भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम,1980 के अर्न्तगत अंतिम स्वीकृति प्राप्त करके इस कार्यालय को अवगत करवाने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्त।

Sd/-

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar-175029.

पृष्ठांकन संख्या 2420 गोहर, से 24/08/2024

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग मण्डल थुनाग जिला मण्डी, हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई शर्तें जो आपके द्वारा स्वीकार की गई हैं को वन संरक्षण अधिनियम,1980 के ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) में अपलोड की जाए। अपलोड करने के उपरान्त इस कार्यालय को भी सूचित किया जाए। हाल ही में इस सम्बन्ध में मुख्य अरण्यपाल मण्डी वन वृत मण्डी की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2024 को हुई बैठक वन संरक्षण अधिनियम के मामले जिनमें Stage-I स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है परन्तु इन मामले अभी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Stage-I की अनुपालना रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित न करने के कारण Stage-II स्वीकृति हेतू लम्बित हैं के सम्बन्ध में कडा संज्ञान लेते हुए प्रयोक्ता अभिकरण को अनुपालना रिपोर्ट शीध्र भेजने बारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अतः उक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध किया जाता है कि अनुपालना रिपोर्ट को वन संरक्षण अधिनियम,1980 के ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) में अपलोड की जाए। अपलोड करने के उपरान्त तुरन्त इस कार्यालय को भी सूचित किया जाए।

कृप्या इसे अति आवश्यक समझें।

संलग्नः– उपरोक्त।

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar-175029.

अति आवश्यक

क्रमांक-जल0श0म0-अ0अ0-थुनाग-का0स0-फा0सी0-50/2024- 3430 दिनांक:-2/9/24

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता जल शक्ति उप-मण्डल केलोधार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तथा अपलोड करने के उपरान्त तुरन्त इस कार्यालय को भी सूचित करें।

संलग्न/उपरोक्त

अधिशाषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल थुनाग
जिला मण्डी (हि.प्र.)
पिन कोड – 175048